...अवकाश पर
रहने / राज्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण
आज 8/1/18 को तारीख पेश जरिए ...
दिनांक 7/2/18 निश्चित की गई।

7/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र में अंकित किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भाग ख० नं० 4086 233, 234, 236, 237 4143 वाके ग्राम श्यामपुरा में स्थित है इस भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है दि० 27.6.2015 को अप्रार्थीगण हाथों में लाठी लेकर प्रार्थीगण की भूमि पर ट्रैक्टर लेकर आ गये तथा जबरन काश्त करने की धमकी दी। अतः प्रार्थीगण को तात्कालिक तौर उक्त आराजी भाग के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि प्रार्थीगण के भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावे। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा
प्रस्तुत बहस पर मनन किया
तथा जमाबंदी संवत 2068-71
के खाता सं. 992, तथा 96
वाके ग्राम श्यामपुरा का अवलोकन
किया। विवादित काश्तकारीयात
प्रार्थीगण की सह खातेदारी
मे दर्ज हो रही है। उक्त
काश्तकारीयात से अप्रार्थीगण का
कोई सम्बन्ध नहीं है जैसा कि
प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट है।
अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की
सह खातेदारी की काश्तकारीयात
में बाधा उत्पन्न करते है
अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र
स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण
को ता फैसला दावा जरिये अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है कि प्रार्थीगण को उक्त काश्तकारी-
यात ख० नं. 4086, 233, 234, 236,
237, 4143 वाके ग्राम श्यामपुरा
के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार
की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे
न अन्य से करावे। निर्णय सुनाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर वाद-पत्र के
साथ संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर